

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्य) भादरा
(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

1. प्रभात चन्द पुत्र सवाईराम जाहि
2. देसाय चन्द पुत्र सवाईराम जाहि
दावा बाबत - नि० मुनमुता
मुकदमा नम्बर - 10 म/23
निर्णय दिनांक - 20-06-23

उपनाम
1. सवाईराम पुत्र रामप्रसाद जाहि मुन्दा
2. शरत्वती]- कुत्रीप सवाईराम जाहि
3. हारा] मुन्दा नि० मुनमुता
4. भीरा]
5. राजप्रसाद चरफार जसिं- 10 R/

वादी की ओर से वकील एड. सुनमचन्द वर्मा की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

एड. अमर कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-6-23 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

सं 65/58 डे मुणन 52 डे डिला नं 5, 6, 15 मुणन 53 डे
डिला 1, 2, 3, 9, 12, मुणन 54 डे डिला नं 11, 12, 19, 20
के इत 3.5420 है 0 में प्रतिवादी सं 01 सवाईराम का नाम
असमान डिया जाकर उसके पान पर वारीगण सं 01
प्रभातचन्द वारीगण सं 2 देसायचन्द डो बडिमा वरावर
डे अजुमार शरीदार अशुमार घोषित डिये जाते हैं।
यदि एवि धूमि बैड रदन है तो रदन मुक होने डे पश्चात
ही उपरोक्तानुमार राजस्य रिजार्ड में अमत राखर डर
रिजार्ड डुनार डरें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



आज दिनांक 20-6-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभात
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़